रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)(1)(341/2011)(लिंक नं.9780)/ अलेसे–II/ दिनांक :–

श्री प्रमोद कुमार जांगीड़ पुत्र श्री सांवर मल जांगीड़
वार्ड नं. 7, पोस्ट–रतन नगर, जयपुर रोड,
जिला – चूरू।
पिन कोड– 331021

विषयः– लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में नोटिस।
प्रसंगः– निदेशालय का नियुक्ति आदेश क्रमांक 147/2015–16 दिनांक 02.12.2015 एवं विभागीय समसंख्यक पत्रांक 192–199 दिनांक 29.04.2016

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस वेरिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण पत्र विभाग में उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 147/2015–16 दिनांक 02.12.2015 द्वारा आपको लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राशमी, चित्तौड़गढ 17704 में पदस्थापन के आदेश जारी कर दिनांक 09.12.2015 तक कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किये गये थे, किन्तु विभागीय आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्र क्रमांक 192–199 दिनांक 29.04.2016 द्वारा आपको अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 15.05.2016 तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु आपके द्वारा विभागीय आदेशों की पालना नही की गयी है।

आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 मई 2016 तक आवश्यक रूप से कार्यालय उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राशमी, चित्तौड़गढ़ 17704 में कार्यग्रहण कर विभाग को अवगत करावें। उक्त दिवस तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके लेखाकार पद पर किये गये नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(डॉ मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)(1)(341/2011)(लिंक नं.9780)/ अलेसे–II/354-361 दिनांक :–25/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राशमी, चित्तौड़गढ़ 17704 को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. श्री प्रमोद कुमार जांगीड़ पुत्र श्री सांवर मल जांगीड़ वार्ड नं. 7, पोस्ट–रतन नगर, जयपुर रोड, जिला – चूरू। पिन कोड– 331021 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 30 मई 2016 तक विभागीय आदेशों की अनुपालना में निर्धारित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ कर कार्यारम्भ रिपोर्ट संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिपोर्ट संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\sas-ii\KHANNA JI